समाहरणालय, गोड्डा

(उत्पाद शाखा)

पत्रांक 95 /उ0

प्रेषक,

उपायुक्त,
गोड्डा।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
गोड्डा।

गोड्डा, दिनांक 16/02/2016

विषय :– **संलग्न बिक्री अधिसूचना को जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गोड्डा जिला में वित्तीय वर्ष–2016–17 के लिए खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोवस्ती की तिथि दिनांक 04.03.2016 एवं आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन निर्धारित की गई है। इस संदर्भ में ज्ञापांक 93 दिनांक 16/02/2016 से बिक्री अधिसूचना निर्गत किया गया है, जिसकी जानकारी जन–साधारण को होना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न बिक्री अधिसूचना को जिला के वेबसाईट www.godda.Nic.in पर प्रकाशित किया जाए।

विश्वासभाजन

16/2/16

उपायुक्त,
गोड्डा।

समाहरणालय, गोड्डा

(उत्पाद शाखा)

बिक्री अधिसूचना

(उत्पाद प्रपत्र–127 क)

1– झारखण्ड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के संकल्प संख्या–1/नीति–40–4/2009–367 दिनांक–20.02.2009 (समय–समय पर यथा संशोधित) जो झारखण्ड गजट के असाधारण अंक संख्या–69 दिनांक–20 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गयी तथा एस0ओ0 संख्या–647 दिनांक–27.03.2009 द्वारा प्रकाशित "झारखण्ड उत्पाद (शराब की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती) नियमावली, 2009" (समय–समय पर यथा संशोधित), उसमें वर्णित उत्पाद नीति के आलोक में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि गोड्डा जिला में अवस्थित देशी शराब (मसालेदार देशी शराब सहित) एवं विदेशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) की दुकानों की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्तियों तथा एक ही परिसर में देशी/मसालेदार देशी शराब एवं विदेशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) की खुदरा बिक्री की कम्पोजिट दुकानों की अनुज्ञप्तियों को वर्ष **2016–17 अर्थात 1ली अप्रील 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए दिनांक– 04.03.2016 को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 11.00 A.M. बजे से समाहरणालय, गोड्डा** में निर्धारित फीस पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों/ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों के आधार पर लॉटरी के माध्यम से योग्य आवेदकों की उपस्थिति में बन्दोबस्त किया जायेगा ।

2– बन्दोबस्ती में भाग लेने के इच्छुक आवेदकों (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) से विहित प्रपत्र (संलग्न परिशिष्ट–1) में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **आवेदन पत्र ऑनलाईन विधि से दिनांक– 27.02.2016 तक समर्पित किये जायेंगे तथा ऑफलाईन विधि अर्थात् विहित प्रपत्र में भरा हुआ आवेदन अधीक्षक उत्पाद दुमका–सह–गोड्डा के कार्यालय, दुमका में वाँछित आवेदन शुल्क के साथ दिनांक–01.03.2016 तक प्राप्त किये जायेंगे।** पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी परिपूर्ण अभिलेख आवेदन के साथ संलग्न (अपलोड) करना आवश्यक होगा । बन्दोबस्ती की तिथि से पाँच कार्य दिवस पूर्व तक लॉटरी हेतु केवल ऑनलाईन विधि से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे । अर्थात् यदि 25.02.2016 को बन्दोबस्ती हेतु तिथि निर्धारित है तो 19.02.2016 तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे । **आवेदन शुल्क, ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के उपरान्त अगले दो बैंक कार्यदिवस तक प्राप्त किये जायेंगे** । जिला द्वारा निर्धारित तिथि के उपरान्त आवेदन शुल्क की राशि जमा करने पर भी आवेदक लॉटरी के लिए योग्य नहीं होंगे ।

आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित जिला के अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/एन0आई0सी0 के जिला सूचना पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं । परन्तु लॉटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने में नेटवर्क अथवा अन्य किसी स्थानीय अथवा विशेष कारण से इन्टरनेट क्रियाशील नहीं रहने के कारण उत्पन्न होनेवाली समस्याओं के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।

अतः श्रेयस्कर यह होगा कि बन्दोबस्ती में भाग लेने वाले इच्छुक आवेदक आवेदन शुल्क के साथ आवेदन पत्र अंतिम तिथि के पूर्व ही ऑनलाईन समर्पित कर दें ताकि अंतिम तिथि को बेवसाईट पर लोड होने के कारण आवेदन समर्पित करने में समस्या न हो ।